न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 18/2018 (राजसमन्द आर्डर

1. श्रीमती बालीदेवी पत्नी हजारी जी, जाति कुम्हार, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती शंकरीदेवी पत्नी बालुराम जी, जाति कुम्हार, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बालुराम पिता कालु जी, जाति कुम्हार, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. गोविन्द पिता केशुलाल जी, जाति महाजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सुरेशचन्द्र पिता केशुलाल जी, जाति महाजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. प्रहलाद पिता केशुलाल जी, जाति महाजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गिरीराज पिता मांगीलाल जी, जाति महाजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. हजारीलाल पिता बालु जी, जाति कुम्हार, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 25.06.2018 प्र॰ सं॰ 43/18

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री पुष्पा लोहार अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री संजयकुमार मेहता अभिभाषक रे. 1 से 4

———::———

निर्णय **दिनांक 09–01–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के

विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात ग्राम कुरज में स्थित है, जिसके आराजी नंबर 841 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा है, जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से निरन्तर करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से विपक्षीगण का कोई लेना देना नहीं है, किन्तु विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण के खेत से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा हैं, जबकि मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिण दिशा में रास्ता दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण की आराजियात में किसी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं है। अतएवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थीगण की उक्त आराजी में अनाधिकृत प्रवेश नहीं करें तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–03–2018 को दर्ज किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बाद विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में दिनांक 12–04–2018 को दिनांक 17–05–2018 के लिए पेशी दी गयी तथा दिनांक 17–05–2018 को कैम्प कुरज में पत्रावली दिनांक 25–06–2008 के लिए रखी गयी। दिनांक 25–06–2018 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, जबकि विपक्षीगण कुरज के ही रहने वाले हैं। पत्रावली पर दिनांक 25–06–2018 को विपक्षीगण का एक आवेदन अवश्य नजर आता है, जिसमें यह अंकित किया कि विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 28–03–2018 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जहां एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है वहां आदेश 39 नियम 3, 4 सी.पी.सी. की पालना करना आवश्यक होता है, जो नहीं की गयी है। अतएवं विपक्षीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उक्त आवेदन पर किसी प्रकार का कोई पृष्ठांकन नहीं है, तद्नुसार यह पत्र अधिनस्थ न्यायालय में किसके समक्ष कब प्रस्तुत किया

गया, यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–06–2018 को प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री संजय कुमार मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–04–2018 को बाद तामील अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब हेतु अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 17–05–2018 की पेशी नियत की एवं राजस्व कैम्प में रहने हेतु निर्देश दिये, लेकिन जवाब हेतु कोई निर्देश नहीं दिया एवं अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये, जबकि अपीलान्टगण के अधिवक्ता द्वारा राजस्व कैम्प में उपस्थित होकर आदेश 39 नियम 3, 4 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र में जिस आराजी का उल्लेख किया गया है उक्त आराजी में से आने–जाने के रास्ते के लिए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के पूर्वाधिकारियों द्वारा ही अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारियों को विक्रय से प्राप्त हुआ था। वहीं रास्ता अपीलान्टगण को प्राप्त हुआ जो उपयोग–उपभोग में चला आ रहा था। इसके अलावा अपीलान्टगण की कृषि भूमि में आने–जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट का यह कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है, जो पूर्णतया अनुचुति है। किसी भी पक्षकार को वजह जाहिर करने का नोटिस प्राप्त होने पर उसे जवाब के साथ ही न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए था। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में सभी पक्षकार कुरज के ही निवासी हैं तथा लोक अदालत कैम्प कुरज में ही था। तद्नुसार अपीलान्टगण के अनुपस्थित रहने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है। अपीलान्टगण का यह कथन कि इस भूमि के पूर्वाधिकारियों से उन्हें उक्त रास्ता प्राप्त हुआ है तथा दौराने बहस उनके द्वारा विक्रय पत्र की एक फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उसके द्वारा आराजी नंबर 849 जो क्रय की गयी है वह रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी श्री केशूलाल से क्रय की गयी हो, ऐसा स्पष्ट नहीं होता है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्टगण की आराजी में किसी प्रकार का कोई रास्ता अंकित नहीं है। यदि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण की आराजी में कोई कदीमी रास्ता हो तो अपीलान्टगण के पास धारा 251 अथवा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही उक्त रास्ता प्राप्त करने का विधिक विकल्प उपलब्ध है। जब राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता वर्णित ही नहीं हो तो किसी खातेदार की भूमि में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विपक्षीगण को दखलन्दाजी करने की छूट नहीं दी जा सकती। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–06–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर